

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रेणी

श्री मोहन लाल बनाम महेन्द्रा

नं.....सन्.....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

आज के प्राथमिक पत्र डाईट 9 R9  
श्री सुरेश कुमार वर्मा Adv. द्वारा पेश किया  
गया इफ रिफ. है प्रीपारेशन को  
जरिये लगाने तलब किया जा कर जाये।  
पत्रावली दिनांक 14/10/21 को पेश है।

16/11/21 आज यह पत्रावली खपेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की  
पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत.....  
में दिनांक..... को पेश होने वाली तलब होकर  
पेश हुई। पक्षकारानु को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत  
ग्राम पंचायत..... में उपस्थित होने बाबत नोटिस  
जारी हो। पत्रावली दिनांक..... को कैम्प कोर्ट/  
राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत..... पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रेणी जिला अलवर

17/11/21 आज यह पत्रावली प्रशासन गैरवो  
के संग अधिसूचना 2021 कैम्प कोर्ट  
ग्राम पंचायत पास में पेश हुई। वही  
अधिसूचना 2 एवं प्रतिपक्षी अधिसूचना 01 उपस्थित  
वादी के द्वारा प्रकरण को नम्बर पर लेने  
का निवेदन किया।

वा. ल. ल.

किसी प्राथमिक पत्र 9 R9 स्वीकार  
किया जा रहा है। मुकदमा को नम्बर पर  
लिया जा रहा है। प्राथमिक पत्र डाईट प्रकरण  
प्रकार अनुसार होकर यह हर से कम किया  
जाना प्रमाण प्रमाण है।

महेन्द्रा

प्रीतिश्री अधिकारी  
प्रशासन गैरवो के संग अधिसूचना 2021  
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत.....  
उपखण्ड अधिकारी रेणी (अलवर)